

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :- 15/5/2024

मिशल संख्या:- 179/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र:-

1. गोविन्द पुत्र जगदीश जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रेमराज पुत्र जगदीश जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मंजू देवी पत्नी जगदीश जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. मदन पुत्र मांग्या जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. राजेश पुत्र जगदीश जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. लाड देवी पत्नी जगदीश जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. शोदान पुत्र मांग्या जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. सुखपाल पुत्र मांग्या जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. सांवरिया पुत्र जगदीश जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. हेमराज पुत्र जगदीश जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थीगण-

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

-अप्रार्थी-

उपस्थिति :- श्री रमेश कुमार शर्मा  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 312 खसरा नम्बर 177 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.15 व खसरा नम्बर 193 रकबा 0.41 है0 याके ग्राम



पियागांव तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि के अडवे ही अन्य खातेदारान जो बहुबल एवं अपने लठ के जोर पर प्रार्थी को डरा धमकाकर प्रार्थीगण की भूमि में नजायज रूप से कब्जा करने की नियत से मेड, डोल को हकाई कर नष्ट कर अपने खेतों में मिला लिया और प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में हकाई, बआई व फसल काशत करने में बेजा मजामत करते हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर मेड डोल व सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया गया है। इस कारण मौके पर विवाद बना रहता है एवं प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काशत करने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :- उक्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है व कब्जे काशत है। आवेदक का अन्य पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में विरासत नामान्तकरण अवशेष नहीं है। उक्त आराजी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नहीं है और पूर्व में सीमाज्ञान नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।


अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074-77 में अंकित खाता संख्या 312 खसरा नम्बर 177 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 181 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 183 रकबा 0.12 है0,



खसरा नम्बर 185 रकबा 0.15 व खसरा नम्बर 193 रकबा 0.41 है0 वाके ग्राम नयागांव तहसील देवली जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली